Volume 2; Issue 2
April to Jun 2025
E-ISSN: 3048-6742

Sanskriti-Samvahika

संस्कृति-संवाहिका

Peer Review Indexed Refereed Journal

Quarterly Journal

Editor-in-Chief

Dr. Ashwini Devi

Sanskriti-Samvahika संस्कृति-संवाहिका

E-ISSN: 3048-6742

https://sanskritisamvahika.in

Volume 2; Issue 2; April to Jun, 2025; Page No. 53-65

Peer Review, Indexed and Refereed Journal

याज्ञवल्क्यस्मृति में वर्णित ऋण सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता

मनीषा

डॉ.सुमन रानी

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़

अणु संकेत – manisha9350223205@gmail.com

शोध सारांश

ऋण अर्थात कर का भुगतान एवं वसूली स्मृतियों में वर्णित महत्वपूर्ण व्यवहारपदों में से एक है। यह परीक्षण शीर्षकों की सूची में सबसे ऊपर है। कर की अवधारणा और किसी के कर को चुकाने के दायित्व की उत्पत्ति भारत में बहुत प्राचीन है, जिसका पता ऋग्वेद के समय से लगाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ने सामान्य और विशेष मामलों में प्रक्रिया के नियमों पर प्रकाश डालने के बाद मूल अधिनियम के समाप्ति के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान पर कानूनों का निर्माण किया है।

मुख्य शब्द: *याज्ञवल्क्यस्मृति, ऋण सिद्धांत, प्रासंगिकता*

प्रस्तावना

ऋण अर्थात कर का भुगतान एवं वसूली स्मृतियों में वर्णित महत्वपूर्ण व्यवहारपदों में से एक है। यह परीक्षण शीर्षकों की सूची में सबसे ऊपर है। कर की अवधारणा और किसी के कर को चुकाने के दायित्व की उत्पत्ति भारत में बहुत प्राचीन है, जिसका पता ऋग्वेद के समय से लगाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ने सामान्य और विशेष मामलों में प्रक्रिया के नियमों पर प्रकाश डालने के बाद मूल अधिनियम के समाप्ति के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान पर कानूनों का निर्माण किया है।

याज्ञवल्क्य ने कर विषय पर नियमों की चर्चा के लिए अट्ठाईस श्लोक वर्णित किये हैं। मिताक्षरा भाष्य में कहा गया है कि अधिनियम का

यह शीर्षक अर्थात् कर वसूली अधिनियम सात प्रकार के होते हैं अर्थात् विचारणीय सात बिन्दु हैं।

तच्च ऋणादानं सप्तविधम्। इदशमृणं देयं, इदृशमृणादेयं, अनेनाधिकारिणं देयं, अस्मिन समये देयं, अनेना प्रकारेण देयमित्यधमर वेने पंचविधम्। उत्तमार्णे दानविधिः अदानविधिश्चेति द्विविधमिति। [1]

ये बिंदु इस प्रकार हैं:-

चुकाए जाने वाले कर का प्रकार।

एक प्रकार का कर जो चुकाना न पड़े।

जिनके पास भुगतान करने का अधिकार है या जिनके द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

वह समय जब इसका भुगतान किया जाना है।

इसका भुगतान कैसे किया जाएगा।

कर देने की विधि।

इसे कैसे वापस करें।

यहां पहले पांच बिंदु अधमर्ण (कर लेने वाला व्यक्ति) से सम्बन्धित हैं, जिसका अर्थ है ऋणी और अंतिम दो बिंदु उत्तमर्ण (कर देने वाला व्यक्ति) के लिए विचार का विषय हैं, जो करदाता को संदर्भित करता है।

अशीतिभागो वृद्धिःस्यान्मासि मासि सबन्धके। वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पञ्चकमन्यथा॥ [2]

याज्ञवल्क्य के समय तक यह अच्छी तरह से तय हो गया प्रतीत होता है कि करदाता द्वारा उधारकर्ता से लाभ कमाने के साधन के रूप में कर पर ब्याज लिया जाता था। उधार दी गई चीजें पैसे या किसी अन्य प्रकार की हो सकती हैं। याज्ञवल्क्य सबसे पहले कर पर लगने वाले ब्याज की दर के संबंध में अधिनियम या नियम देते हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा अनुमत ब्याज दर विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न होती है, जैसे कि कर की प्रकृति, ऋणी, उद्देश्य, उधार दी गई चीजें आदि। कर को सुरक्षित या असुरक्षित के रूप में वर्णित किया जाता है जैसा कि आजकल होता है। याज्ञवल्क्य ने कर के मामले में ब्याज की दर प्रति माह मूलधन के अस्सीवें हिस्से पर तय की, जो कुछ प्रतिज्ञा या गिरवी/बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया था। अन्यथा हर महीने वर्णमाला क्रम के अनुसार दो, तीन, चार या पांच प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है।

मिताक्षरा टिप्पणी बताती है कि ब्याज की ये दरें, यानी दो, तीन, चार और पांच प्रतिशत, गिरवी के बिना कर को संदर्भित करती हैं।

कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्। [3]

[1] याज्ञ० पर मिताक्षरा , 2.37

[2] याज्ञ०, 2.37. पृ०.194

[3] याज्ञ०, 2.38 पृ०. 195

कुछ विशेष मामलों में विशेष ब्याज दर का प्रावधान है. याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो कर्ज़दार जंगलों से होकर यात्रा करते हैं उन्हें दस प्रतिशत ब्याज प्रति माह देना चाहिए और जो लोग समुद्र से यात्रा करते हैं उन्हें बीस प्रतिशत ब्याज प्रति माह देना चाहिए।

ये वृद्ध धनं घृत्वाधिकालभारतमतिगहनं प्राणधानंविनाशंकास्थानं प्रविशति ते दशकं शतं दद्युः ।...आदद्यानमूलविनाशस्यापि श अंकितत्वादिति। [4]

मिताक्षरा ऐसे मामलों में ब्याज की उच्च दरों के कारणों को बहुत अच्छी तरह से चित्रित करती है। जिन देनदारों को जोखिम भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, उन्हें जान-माल का खतरा रहता है। इसलिए, करदाता को ऐसे व्यवसायी को कर देने के लिए ब्याज की अत्यधिक दरें वसूलने की अनुमति होती है, क्योंकि इससे मूल राशि के नुकसान का भी बड़ा जोखिम होता है।

दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ [5]

याज्ञवल्क्य कर वसूली के नियमों के तहत देनदार और लेनदार के बीच ब्याज निर्धारित करने की भी अनुमति देते हैं। एक नियम के रूप में, सभी वर्गों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत ब्याज दर का भुगतान किया जा सकता है।

सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां पशुस्त्रीणां सन्ततिरेव वृद्धिः ।

रसस्याष्टगुणा परा । वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा ॥ [6]

कुछ संपत्तियों पर विशेष प्रकार के ब्याज की घोषणा की जाती है। मादा मवेशियों के मामले में दिए गए कर पर ब्याज उनकी संतान पर लगाया जाता है। तरल पदार्थों (जैसे तेल, घी आदि) के कर पर ब्याज आठ गुना तथा कपड़ा, अनाज और सोने के कर पर ब्याज क्रमशः चार गुना, तीन गुना और दोगुना होना चाहिए।

हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत् ।

ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दाप्यो यथोदयम् ॥ [7]

जब निम्न वर्ग का कोई कर्ज़दार दिवालिया हो जाता है और अपना कर्ज़ चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उससे अपना कर्ज़ चुकाने के लिए काम कराया जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भुगतान करना चाहिए।

नातिसंवत्सरीं वृद्धिं न चदृष्टां विनिहारित।

---

[4] याज्ञ० पर मिताक्षरा , 2.39

[5] याज्ञ०, 2.38 पृ०, 195

[6] याज्ञ०, 2.39 पृ०, 196

[7] याज्ञ०, 2.43 पृ०, 198

चक्रवृद्धि: कलावृद्धि: कारिता कायिका च य॥ [8]

कालिका करिता चैवं कायिका च तथा परा।

चक्रवृद्धिश्च शास्तेऽस्मिन् वृद्धिदृष्टा चतुर्विधा ॥ [9]

मनु और नारद दोनों ने ब्याज के चार प्रकार बताये हैं। कालिका, कारिता, कायिका और चक्रवृद्धि। महीने के अनुसार देय ब्याज को कालिका कहा जाता है। कारिता ब्याज निश्चित ब्याज है, जिसका वादा किया जाता है या पक्षो द्वारा स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की जाती है। ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि कहते हैं. मूल वस्तु ब्याज मूल वस्तु श्रम अर्थात मूल वस्तु ब्याज के रूप में होती है। नारद के अनुसार वस्तु की ब्याज अलग-अलग होती है। यह एक पण या एक-चौथाई पण की दर से मूल राशि को कम किए बिना नियमित रूप से देय ब्याज है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्याज दरों पर याज्ञवल्क्य के नियम उपर्युक्त तीन प्रकार के ब्याज, यानी आवधिक, निश्चित और भौतिक के संदर्भ में हैं।

प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत्।

साध्यमानो नृपं गच्छेदण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्॥ [10]

कर वसूली की प्रक्रिया के संबंध में याज्ञवल्क्य का कहना है कि राजा को कर वसूल करने का प्रयास करते समय न तो रोकना चाहिए और न ही किसी को दोष देना चाहिए, जो कि स्वीकृत है, अर्थात या तो ऋणी द्वारा स्वीकार किया गया है या गवाहों आदि के माध्यम से सिद्ध किया गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत कर की वापसी की मांग करते हुए करदाता के खिलाफ शिकायत करने के लिए राजा के पास जाता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए और करदाता को राशि चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः साधितादृशकं शतम्।

पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थो द्युत्तमर्णिकः ॥ [11]

कर्ज़दार को राजा द्वारा स्वीकार की गई राशि में से वसूल की गई राशि का दसवां हिस्सा स्वयं को देना होगा। करदाता अपने कर की वसूली के बाद पांच प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए भी बाध्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य स्वीकृत कर के मामले में लागू करना है, जब करदाता, खुद को पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ होता है, राजा के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य ने करदाता को कर स्वीकार करने तथा ऋणी से वसूल करने की खुली छूट दे दी है।

गृहीतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः।

दत्त्वा तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥ [12]

---

[8] मनुस्मृति , 8.153

[9] नारदस्मृति, 4.102

[10] याज्ञ०, 2.40 पृ०, 196

[11] याज्ञ०, 2.42 पृ०, 197

[12] याज्ञ०,2.41 पृ०,197

जब किसी कर्जदार के कई लेनदार हों तो याज्ञवल्क्य के अनुसार उनसे कर्ज वसूल करते समय दो नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि करदाता एक ही जाति के हों तो देनदार को प्राप्ति क्रम के अनुसार भुगतान करना चाहिए। विभिन्न जातियों के लेनदारों के बीच, देनदार को पहले ब्राह्मण को और फिर जातियों के क्रम में भुगतान करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम् ।

मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्वर्धते न ततः परम् ॥ [13]

देनदार के हितों को लालची लेनदार द्वारा शोषण से बचाने के लिए एक दिलचस्प अधिनियम बनाया गया है। जहां देनदार द्वारा कर की राशि लेनदार के पास जमा कर दी गई है, लेकिन देनदार वापस नहीं लेता है, या लेने से इनकार करता है, और बाद वाला उसे बिचौलिए के पास जमा कर देता है, जमा के समय से ब्याज मिलना बंद हो जाता है। है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 84 में सन्निहित सिद्धान्त, जैसा कि वर्तमान में भारत में लागू है, ब्याज की समाप्ति के संबंध में याज्ञवल्क्य के इस प्रावधान के लगभग समान है। धारा 84 में प्रावधान है कि गिरवी धन पर ब्याज उस तारीख से समाप्त हो जाता है जिस दिन मूल राशि करदाता को दी जाती है और उसके इनकार के बाद अदालत में जमा की जाती है।

अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यदृणं तु कृतं भवेत्।

दद्युस्तादृक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनी।। [14]

याज्ञवल्क्य ने उन व्यक्तियों से सम्बन्धित अधिनियम की विस्तार से चर्चा की है जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं और जब ऐसी देनदारी उत्पन्न होती है। अविभाजित सदस्यों द्वारा पारिवारिक उद्देश्य के लिए लिया गया कर, जिसे आम तौर पर परिवार के मुखिया द्वारा चुकाया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में, यानी उनकी मृत्यु या विदेश जाने पर, इसका भुगतान संपत्ति प्राप्त करने वाले सहदायिकों या सदस्यों को करना होगा।

न योषितपतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता।

दद्यादते कुटुम्बार्थन्न पतिः स्त्रीकृतं तथा।। [15]

इसका तात्पर्य यह है कि जब परिवार के कल्याण के लिए कर लिया जाता है, तो चुकाने की बाध्यता इस तथ्य की परवाह किए बिना मौजूद रहती है कि वे एकजुट रहें या विभाजित रहें। सामान्य नियम यह है कि एक महिला अपने पति या बेटे का कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसी तरह एक पुरुष भी अपने बेटे या पत्नी का कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिवाय इसके कि जब कर्ज परिवार

[13] याज्ञ०, 2.44 पृ०,198

[14] याज्ञ०, 2.45 पृ०,199

[15] याज्ञ०, 2.46 पृ०,199

की जरूरतों के लिए हो गया है। ऐसी स्थिति में जहां परिवार के लाभ या जरूरतों के लिए कर का अनुबंध किया जाता है, दायित्व संस्था या प्राधिकरण की धारणा से उत्पन्न होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 187 के तहत, कुछ शर्तों को पूरा करने पर घरेलू मामलों के लिए अपने पति के कर को गिरवी रखने की पत्नी के पक्षो में निहित अधिकार का एक उदाहरण।

प्रतिपन्नं स्त्रीया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्।

स्वयंकृतं वा यदृणां नान्यत्स्त्री दातुमर्हति॥ [16]

हालाँकि, याज्ञवल्क्यस्मृति (2.48) में पत्नी के कर के लिए पति की गैर-जिम्मेदारी के नियम का एक अपवाद प्रदान किया गया है, कि चरवाहों, शराब बनाने वालों, नर्तकियों, धोबी या शिकारियों की पत्नियों द्वारा अनुबंधित कर के मामले में, उनके पति इसका निर्वहन करेंगे, चुकाने को बाध्य है. एक अन्य अपवाद एक महिला को अपने पति के कर्ज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है जिसका उसने वादा किया है, जिसे पत्नी ने अपने पति के साथ संयुक्त रूप से वहन किया है या जिसे उसने अकेले अनुबंधित किया है। इसके अलावा, याज्ञवल्क्य का कहना है कि तीन स्थितियों में पिता के कर को चुकाने का दायित्व पुत्र पर बाध्यकारी होता है और चुकाने में असमर्थ होने की स्थिति में, इसे पोते द्वारा चुकाया जाना चाहिए।

पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुतेऽपि वा।

पुत्रपौत्रैऋणं देयं निवे साक्षिभीवितम्॥ [17]

ऐसी तीन परिस्थितियाँ होती हैं जब पुत्र और पौत्र को अपने पिता का कर चुकाना पड़ता है -

1. पिता की मृत्यु के बाद।

2. जब पिता दूर देश चला गया हो।

3. यदि पिता असाध्य (जिस रोग का इलाज नहीं किया जा सकता) रोग आदि से पीड़ित हो।

जब बेटा या पोता इनकार करता है या कर की वास्तविकता के बारे में कोई विवाद है जिसे गवाहों द्वारा, यानी साक्ष्य के किसी भी माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। प्रपौत्र की जिम्मेदारी को लेकर संदेह पैदा होता है। मिताक्षरा ने दो स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि प्रपौत्र का उत्तरदायित्व पैतृक सम्पत्ति तक ही सीमित है। यदि परपोते को पैतृक संपत्ति विरासत में मिली है तो वह अपने परदादा का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है और यदि उसे पैतृक संपत्ति विरासत में नहीं मिली है तो वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

पुत्रपुत्रेर्ति बहुवचननिर्देषद्वहाहवः पुत्र यदि

विभक्तः स्वांशनुरूपेण ऋणं दद्युः।

[16] याज्ञ०, 2.49 पृ०,200

[17] याज्ञ०, 2.50 पृ०,201

अविभक्तश्चेतसंभूयसमुत्थानेन गुणप्रधानभावेन वर्तम् आननं प्रधानभूत वा दद्यादिति गम्यते॥ [18]

याज्ञवल्क्य का विचार इस बात का समर्थन करता प्रतीत होता है कि कर तीसरी पीढ़ी तक देय रहता है, जिसका उल्लेख 2.90 में विशेष रूप से किया गया है। इसके अलावा यदि कई पुत्रों में बंटवारा हो तो नियम यह है कि उन्हें अपने-अपने हिस्से के अनुसार अपने पिता का कर चुकाना चाहिए। संयुक्त निवास के मामले में जिम्मेदारी प्रगिरवी/बंधक पर आती है।

सुरकामाद्युतकृतं दण्डशुल्कवशिष्ठकम्।
वृथादानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम॥ [19]

यद्यपि पिता के कर को चुकाना पुत्रों का प्रमुख दायित्व है, परंतु याज्ञवल्क्य द्वारा इस अधिनियम में न्यायपूर्ण एवं नैतिक सिद्धान्त पर आधारित एक महत्वपूर्ण पहलू शामिल किया गया है। बेटों को अपने पिता के अवैध और अनैतिक कर्ज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शराब, वासना, जुआ, अवैतनिक जुर्माना या बिना विचार किए उपहार आदि के लिए पिता द्वारा लिया गया कर उसके पुत्रों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

रिक्तगृहाणं दाप्यो योशिद्गृहस्तथैव च।
पुत्रोऽन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्तिनः॥ [20]

इस प्रकार, याज्ञवल्क्य केवल नैतिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए कर लेने और चुकाने का समर्थन करते हैं। याज्ञवल्क्य ने मृतकों के कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की कुल संख्या निर्धारित करने का आदेश दिया है। मुख्य जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो संपत्ति अर्जित करता है या उसे विरासत में लेता है। ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित किसी की अनुपस्थिति में, दायित्व (देनदार की) पत्नी को लेने वाले पर होता है। फिर, यदि पैतृक संपत्ति दूसरे के पास नहीं गई है तो पुत्र उत्तरदायी है। पुत्रहीन व्यक्ति के मामले में, कर उन लोगों से चुकाया जाना चाहिए जो उसकी विरासत लेते हैं।

प्रतिभाव्यनाम विश्वसारं पुरुषान्तरेण सह समयः। [21]

याज्ञवल्क्य द्वारा दिये गये कर के नियमों में जमानत का उल्लेख मिलता है। मिताक्षरा द्वारा दी गई ज़मानत की एक मानक परिभाषा यह है कि यह विश्वास या आश्वासन पैदा करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक अनुबंध है।

दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यं विधीयते।
आद्यौ तु वितथे दाप्यवितरस्य सुता अपि॥ [22]

[18] याज्ञ०, 2.50 पृ०,201
[19] याज्ञ०, 2.47 पृ०,199
[20] याज्ञ०,2.51 पृ०,202
[21] याज्ञ० पर मिताक्षरा, 2.53
[22] याज्ञ०, 2.53 पृ०, 205

याज्ञवल्क्य ज़मानत देने का प्रावधान करते हैं, यानी अग्रिम कर देने के लिए करदाता में विश्वास पैदा करने के लिए तीसरे पक्षो की सहमति। इस प्रकार, ज़मानत के लिए तीन पक्षों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, अर्थात। ज़मानतदार, देनदार और लेनदार. याज्ञवल्क्य कर लेन-देन के मामले में प्रयोजन के अनुसार तीन प्रकार की जमानतें देते हैं। ये भुगतान के लिए दिखावे, आश्वासन और ज़मानत हैं। सभी तीन प्रकार की ज़मानतियां अभाव/गलती से उत्पन्न होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरे प्रकार की ज़मानत के मामले में, चुकाने का दायित्व उसके बेटों पर भी लागू होता है। उपस्थिति के लिए ज़मानतकर्ता आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति की पेशी की सहमति देता है। आश्वासन के लिए जमानतदार उस व्यक्ति पर भरोसा करने या विश्वास करने पर जोर देता है जो कहता है कि वह धोखा नहीं देगा। भुगतान के लिए ज़मानतदार देनदार द्वारा अभाव/गलती की स्थिति में पूरी राशि का भुगतान स्वयं करने का वचन देता है।

दर्शनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रत्ययिकोऽपि वा।

न तत्पुत्राणं दद्युर्दद्यूर्दानाय यः स्थितः ॥ [23]

पहले और दूसरे प्रकार के ज़मानतदारों के बेटे अपने पिता की मृत्यु के बाद पैसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं हैं।

बहवः स्युर्यदि स्वांशैर्दद्युः प्रतिभुवो धनम् ।

एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथाब्याज ॥ [24]

यदि कई ज़मानतदार हैं और उनका हिस्सा तय है, तो उन्हें अपने सम्बन्धित भाग की सीमा तक एक राशि का भुगतान करना होगा। इसके विपरीत, यदि उन्होंने संयुक्त रूप से और अलग-अलग देनदारी उठाई है, तो करदाता अपनी पसंद के अनुसार वसूली कर सकता है।

प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम् ।

द्विगुणं अँतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥ [25]

एक ज़मानतदार के अधिकार तब सुरक्षित होते हैं जब एक ज़मानत सार्वजनिक रूप से देनदार की ओर से लेनदार को भुगतान करता है और देनदार उस राशि का दोगुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है जो ज़मानतकर्ता ने भुगतान किया है।

संततिः स्त्रिपशुश्चेव धान्यं त्रिगुणमेव च।

वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा॥ [26]

अनाज, कपड़ा और तरल पदार्थ के मामले में ज़मानतदार मूल देनदार से क्रमशः तीन गुना, चार गुना और आठ गुना वसूली का हकदार है। मादा पशु के मामले में संतान भी देय हो जाती है।

भ्रातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि।

प्रतिभाव्यमृणं साक्ष्यविभक्ते न तु स्मृतम्॥ [27]

[23] याज्ञ०,2.54 पृ०,205

[24] याज्ञ०,2.55 पृ०, 206

[25] याज्ञ०,2.56 पृ०, 206

[26] याज्ञ०,2.57 पृ०,207

ये प्रावधान देनदार के लिए दंड के रूप में हैं ताकि वह लापरवाही न करे, जिसका परिणाम ज़मानतदार को भुगतना पड़े। याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से भाइयों के बीच, पति और पत्नी के बीच, और बेटे और पिता के बीच ज़मानत को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित करते हैं। जब तक वे अविभाजित हैं, वे अधिनियम के अनुसार कर नहीं दे सकते या ले नहीं सकते, साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते।

याज्ञवल्क्यस्मृति में ज़मानत को विनियमित करने वाले कानूनों और भारतीय अनुबंध अधिनियम में सहमति या ज़मानत के अनुबंध से सम्बन्धित कानूनों के बीच एक करीबी समानता पाई जाती है। धारा 126 ज़मानत को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो सहमति देता है। धारा 128 ज़मानत के दायित्व को मुख्य देनदार के दायित्व के साथ सह-व्यापक बनाती है। धारा 140 और 145 में प्रावधान है कि जब ज़मानतदार देनदार को भुगतान करता है, तो वह देनदार के खिलाफ भुगतान के लिए लेनदार के सभी कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। धारा 146 में एक से अधिक होने पर ज़मानतदारों के दायित्व के संबंध में नियम हैं।

अधीरनाम गृहितस्य द्रव्यस्योपरि।
विश्वसारथमधमर्णोत्तमर्णोऽधिक्रियाते अध्यात्म
इत्यधिः। [28]

याज्ञवल्क्य ने करदाता से कर प्राप्त करने के दो साधनों के रूप में प्रतिज्ञा और ज़मानत की चर्चा की है। मिताक्षरा अधिकार को उस कर के रूप में परिभाषित करती है जो उधारकर्ता द्वारा कर देने में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से करदाता के पास जमा किया जाता है।

अधिः प्रणश्येद्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते।
काले कालकृतो नश्येत्फलाभोग्यो न नश्यति।।[29]

याज्ञवल्क्य चल या अचल संपत्ति के आधार पर अधिकार के प्रकारों में अंतर नहीं करते हैं, और इसलिए उनके नियमों में दोनों वर्ग शामिल हैं। वह घोषणा करता है कि यदि अधिक राशि नहीं चुकाई जाती है, तो इसका मतलब है कि कर की अदायगी के लिए सुरक्षा के रूप में देनदार द्वारा लेनदार को दी गई संपत्ति या वस्तु वापस नहीं ली जाती है या कर का भुगतान करके वापस नहीं ली जाती है। जब तक कि मूल राशि समय के साथ दोगुनी न हो जाए। ब्याज जुड़ने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात ऋणी, जो मूल स्वामी है, का अधिकार जब्त हो जाता है। अधिकता के मामले में, विशिष्ट समय सीमा के साथ, यानी जब कर के

[27] याज्ञ०,2.52 पृ०,204

[28] याज्ञ० पर मिताक्षरा , 2.58

[29] याज्ञ०,2.58 पृ०,204

भुगतान के लिए एक समय तय किया जाता है, यदि निर्धारित या नियत समय समाप्त हो जाता है, ऐसा करने में विफल रहने पर, यह देनदार को खो देता है। हालाँकि, फल का आनंद लेने के अधिकार की प्राप्ति कभी समाप्त नहीं होती है। यहां मोक्ष के अधिकार सहित तीन प्रकार की आधि का उल्लेख किया गया है। आधुनिक अधिनियम के तहत अतिरिक्तता का सिद्धान्त कानूनों के अलग-अलग भागो के रूप में मौजूद है। प्रतिज्ञा और गिरवी/बंधक. भारतीय अनुबंध अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम क्रमशः गिरवी/बंधक और गिरवी/बंधक पर कानूनों को नियंत्रित करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 माल की जमानत को कर के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञा के रूप में परिभाषित करती है। धारा 173 घोषित करती है कि गिरवी रखे गए माल पर किए गए कर, ब्याज और अन्य आवश्यक खर्चों की अदायगी के लिए प्रतिज्ञा है। इसी प्रकार, गिरवी/बंधक को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत परिभाषित किया गया है। जब कर देनदार की किसी अचल संपत्ति के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है तो इसे गिरवी/बंधक कहा जाता है। विशिष्ट समय सीमा और आनंद के साथ याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित अधिकार, धारा 58(ई) और 58(डी) के तहत परिभाषित अंग्रेजी गिरवी/बंधक और सूदखोर गिरवी/बंधक के अनुरूप है।

गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारे च हापिते।

नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृताद्दते॥ [30]

याज्ञवल्क्य देनदार के अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कर के रूप में दी गई वस्तु के संबंध में करदाता पर दायित्व थोपता है। यहां उन्होंने दो प्रकार की आधि का उल्लेख किया है, एक केवल अभिरक्षा के लिए जिसे गोप्याधि कहा जाता है और दूसरी कब्जे और उपयोग के लिए, जिसे भोग्याधि के रूप में जाना जाता है। जब अधिशेष, जिसे केवल रखा जाना है, लेनदार द्वारा उपयोग या उपभोग किया जाता है तो नियम यह है कि वह किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा। इसी तरह यदि उपयोग में लाई जा रही वस्तु खराब हो जाए या अनुपयोगी हो जाए तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि उपकरण नष्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, यानी किसी भी लेनदेन के लिए अयोग्य हो जाता है, तो करदाता को इसे ज्यों का त्यों करना होगा। यदि हानि लेनदार के कार्य या लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर या राजा के कार्य के कारण हुई है, तो वह क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यहां उल्लिखित गोयधि में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के सरल गिरवी/बंधक के साथ

[30] याज्ञ०, 2.59 पृ०,209

समानताएं हैं। यहां देखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि याज्ञवल्क्य ने प्रारंभिक चरण में भगवान या राजा के कार्य को एक वैध बचाव के रूप में मान्यता दी थी, जिसे आज भी भारत में अपकृत्य अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण बचाव माना जाता है, यानी भगवान का कार्य यानी का कार्य । प्राकृतिक शक्तियाँ और राज्य के कार्य ।

आधेः स्वीकरणात्सिद्धि रक्ष्यमाणोऽप्यसारतम्।
यतश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनि भवेत्॥ [31]

लेनदार के अधिकार, जो बदले में, देनदार की देनदारियों को आधे हिस्से में प्रकट करते हैं, बशर्ते कि यदि सुरक्षा के रूप में अपर्याप्त होने की सीमा तक गिरावट या चोट हो, भले ही उचित देखभाल की जाए, एक और पर्याप्त होना चाहिए प्रतिस्थापित किया जाए या करदाता को उसकी देय राशि वापस मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक नया नियम यह भी दिया गया है कि आधी की स्थापना तभी की जा सकती है जब उसकी स्वीकृति सिद्ध हो जाए।

चरित्रबन्धककृतं स वृद्धया दापयेद्धनम्।
सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्रिगुणं प्रतिदापयेत्॥ [32]

याज्ञवल्क्य ने दो विशेष प्रकार की अवधि के अस्तित्व का वर्णन किया है।जिन्हें क्रमशः चरित्रबन्धक और सत्यंकर कहा जाता है। पहले प्रकार के मामले में, देनदार को ब्याज सहित कर चुकाना पड़ता है और दूसरे प्रकार में, उसे दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ता है।

अयामाशयः-एवरूपं बंधकं द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यत किंतु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति। [33]

इस नियम का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में कोई हानि नहीं होती है या आधी राशि जब्त नहीं होती है, भले ही राशि दोगुनी हो जाए।

उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्।
प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात् ॥[34]
विना धारणकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम् ॥[35]

जब देनदार इसे छुड़ाने आता है, तो करदाता आधी रकम लौटाने के लिए बाध्य होता है, अन्यथा यह चोरी का अपराध माना जाएगा। आगे यह निर्धारित किया गया है कि जब करदाता अब मौजूद नहीं है, या तो मर गया है या विदेश चला गया है, तो देनदार अपने परिवार को राशि का भुगतान करके इसे पुनर्प्राप्त करने का हकदार है। उस समय से देनदार द्वारा आधी राशि चुकाने के उद्देश्य से दी गई बीमा राशि पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाएगा, हालांकि वह राशि उसके पास ही रहेगी।

[31] याज्ञ०,2.60 पृ०,210
[32] याज्ञ०,2.61 पृ०,210
[33] याज्ञ० पर मिताक्षरा, 2.59
[34] याज्ञ०,2.62 पृ०,211
[35] याज्ञ०,2.63 पृ०,211

यदा तु द्विगुणीभूतमृणामधौ तदा खलु।

मोच्य अधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने॥ [36]

इसके अलावा, आधे के माध्यम से सुरक्षित कर के मामले में, जब मूल राशि का दोगुना लाभ से प्राप्त किया गया है, तो आधा जारी किया जाना चाहिए या वापस किया जाना चाहिए। ये नियम इक्विटी पर आधारित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देनदार के हितों की रक्षा करना है, ताकि करदाता उसकी संकटग्रस्त स्थिति का लाभ उठाकर कर चुकाने के बाद संपत्ति पर पूर्ण कब्ज़ा न कर सके। देनदार और लेनदार के अधिकारों और देनदारियों से सम्बन्धित याज्ञवल्क्यस्मृति के ये प्रावधान, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 60 से 66 और धारा 67 से 77 के तहत गिरवीकर्ता और गिरवीदार को प्रदान की गई उन शर्तों के साथ समानताएं बनाते हैं।

वर्तमान में

याज्ञवल्क्य स्मृति में ज़मानत को विनियमित करने वाले नियमों और भारतीय अनुबंध अधिनियम में ज़मानत अनुबंध से सम्बन्धित कानूनों के बीच एक करीबी समानता है, धारा 126 ज़मानत को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो सहमति देता है। धारा 128 ज़मानत के दायित्व को मुख्य लेनदार के दायित्व के साथ व्यापक बनाती है। धारा 140 और 145 में प्रावधान है कि जब ज़मानतदार देनदार को भुगतान करता है, तो देनदार देनदार के खिलाफ भुगतान करने के लिए देनदार के सभी कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। धारा 146 एक से अधिक की स्थिति में जमानतदारों के दायित्व के लिए नियम बताती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 एक वचन पत्र को कर के भुगतान के लिए सुरक्षा या माल के लिए सुरक्षा के रूप में वादे के निष्पादन के रूप में परिभाषित करती है। धारा 173 गिरवी खातों पर कर, ब्याज और अन्य आवश्यक खर्चों के भुगतान के लिए एक सुरक्षा की घोषणा करती है। इसी प्रकार, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत गिरवी/बंधक को परिभाषित किया गया है। जब कर किसी अचल संपत्ति में सुरक्षित किया जाता है, तो इसे गिरवी/बंधक कहा जाता है। अधियज्ञवल्क्य एक विशिष्ट समय सीमा के साथ और धारा 58(ई) और 58(डी) के तहत परिभाषित अंग्रेजी गिरवी/बंधक और उपभोक्ता बंधन के समान आनंद के साथ।[37]

८. संदर्भ ग्रंथ सूची

(१) डॉ. गड्गासागर राय, *"याज्ञवल्क्यस्मृतिः"*, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, पुनर्मुद्रित संस्करण – २०१७.

[36] याज्ञ०, 2.64 पृ०, 212

[37] भारतीय दण्ड संहिता, पृ० 816.831.845.847.987.990.457

(२) आर्य अनुपमा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चितन मे राज्य का स्वरुप , लक्ष्मी बुक पब्लिकेशन-०३/०५/२०२३. (खोजा गया)

(३) पं. श्रीजगन्नाथशास्त्री तैलङ्ग, *"मनुस्मृति"*, भारतीय विद्या प्रकाशन, १ जनवरी २०११.

(४) पं. थानेशचन्द्र उप्रैती, "याज्ञवल्क्यस्मृतिः", परिमल प्रकाशन, २०१८.

(५) के.डी.गौड़, "भारतीय दण्ड संहिता", केंद्रीय कानून प्रकाशन, ९ अगस्त २०२३.

(६) स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, शतपथ ब्राह्मण, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली।

(७) गैरोला, वाचस्पति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चौखम्बा विद्या भवन.

(८) मिश्र, अनिल कुमार, कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली- २००८

(९) एन. विट्ठल , कौटिल्यकालीन भारत नई दिल्ली-२००३

(१०) शर्मा, डॉ. कमलनयन, "याज्ञवल्क्यस्मृतिः", *(व्यवहाराध्यायः),* जगदीश संस्कृत पुस्तकालय जयपुर-२०१८.

(११) काणे, पाण्डुरंग वामन, "*धर्मशास्त्र का इतिहास*", उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ-१९७३.

(१२) शर्मा, गिरिधर गोपाल, *"मनुस्मृति"*, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, पुनर्मुद्रित संस्करण -२०२०.

(१३) जी. पी. शास्त्री कौटिल्य अर्थशास्त्र" चौखम्बा सुरभारती, प्रथम प्रकाशकाधीन-२०१७.

(१४) शिवराज आचार्यः कौण्डिन्यायनः "मनुस्मृति" चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, पुनर्मुद्रित संस्करण -२००८.

(१५) बटुक लाल, "भारतीय दण्ड संहिता", भाग-१, धारा १तः १७१ पर्यन्तम्, ओरिएण्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पुनर्मुद्रित संस्करण-२०१५.

(१६) बटुक लाल, "भारतीय दण्ड संहिता", भाग-२, धारा १७२तः ३१२ पर्यन्तम्, ओरिएण्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पुनर्मुद्रित संस्करण-२०१५.

(१७) बटुक लाल, "भारतीय दण्ड संहिता", भाग-३, धारा ३१३तः पूर्णम्, ओरिएण्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पुनर्मुद्रित संस्करण-२०१५.